



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanavvn2018@gmail.com website:- www.avvnl.com

क्र. अविनिनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2018-19/प्रे. दि 17-09-2018

1768

आदेश

विषय:-कृषि कनेक्शन के स्थान परिवर्तन के संबंध में।

किसान संगठनों की मांग है कि कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 15.2 के तहत नाम परिवर्तन के पश्चात स्थानान्तरण की 2 वर्ष की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जावे।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 15.2 में यह प्रावधान है कि "एक बार स्थानान्तरण होने अथवा नाम बदलवाने के पश्चात कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण निम्नानुसार होगा:-

1. वर्तमान स्थान पर नाम बदलवाने पर स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा, किन्तु पिता की मृत्यु होने पर उसके वारीसों के नाम फोती नामान्तरण होने पर कृषि कनेक्शन स्थानान्तरण कर दिया जायेगा।
2. वर्तमान आवेदक/उपभोक्ता द्वारा कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में एक बार स्थान परिवर्तन के पश्चात् पुनः स्थानान्तरण 2 वर्ष तक नहीं होगा।

अतः किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 15.2 को निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है:-

"वर्तमान आवेदक/उपभोक्ता व नाम परिवर्तित आवेदक/उपभोक्ता का कृषि कनेक्शन, कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में किसी भी कारण से एक बार स्थानान्तरित कर दिया जावेगा परन्तु उसी कनेक्शन को पुनः स्थानान्तरित 2 वर्ष तक नहीं किया जायेगा।

(ई. वी.पी. सिंह)

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविनिनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर./ई बी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सतर्कता), अविनिनिलि अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रादेशिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रादेशिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्रादेशिक-सहायक, निदेशक (तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता (ग्रिडन्सेज/लीगल), अविनिनिलि, अजमेर
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविनिनिलि,.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविनिनिलि, अजमेर
- 21 प्रबन्धक, टी.पी.ए.डी.एल, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेमवर्क (अजमेर सिटी) वैशाली नगर, अजमेर।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)